

राज्य शिक्षा केन्द्र

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक १।.....

शाखा विधि

विषय

नस्ती क्र.०२२/२०१६/१३।

डब्ल्यू.पी. २००४०/२०१५ द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला

विषय: न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. २००४० / २०१५ द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. २००४०/२०१५ द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला विरुद्ध शासन का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला भोपाल से संबंधित है। प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक, भोपाल को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत। प्रकरण मोबिलीन से शासक से सम्बन्धित है।

JD(P)

ए-०।८ आदेश हस्ताक्षरार्थ

AOM (P) (L)

(देविप्रसाद प्रसाद)
संयुक्त सचिव
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

आयुक्त

S. Dahim
14/01
14/1

AD (Legal)

समन्वयक/

15/1

राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा विधि...

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

पृष्ठ क्रमांक २.....

विषय W.P. 20040/2015 डाटा प्रीमरी सीमा शुक्ला

नस्ती क्र. 022/2016/131

गल पृष्ठ से निरन्तर...

- N/S-1 पर प्रकरण में OLC आदेश जारी किया जा चुका है
- प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती कृष्णा विधि विभाग, म.प्र. शासन को अंकित करना चाहें

JD(P)

दृष्टा प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु
नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहें

A O P (10) / कृष्णा (10)

(देव प्रसाद प्रसाद)
संयुक्त सचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

आयुक्त एवं सचिव
S.E.

विधि विभाग

18/

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रति नस्ती
पर रखी है।

राज्य शिक्षा केन्द्र
स्कूल शिक्षा विभाग

JD(P)

विधि विभाग

18/

23/

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

क्रमांक / राशि के / आयुक्त / दी.ए. 132
भोपाल, दिनांक 18-01-2016

संयुक्त सचिव
18/1/16

18.1.16

1959

18/1/16

राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा विधि...

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

पृष्ठ क्रमांक ०३....

विषय W.P. 20040/2015 द्वारा सीमित्री सीमा शुक्ला विरुद्ध
म.प्र. शासन (संलग्न पृष्ठ 30 से 61 तक) का अवलोकन करने
का कष्ट करें :-

नस्ती क्र. ०२३/२०१६/१३१

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबनपुर से प्राप्त
माचिका क्र W.P. 20040/2015 द्वारा सीमित्री सीमा शुक्ला विरुद्ध
म.प्र. शासन (संलग्न पृष्ठ 30 से 61 तक) का अवलोकन करने
का कष्ट करें :-

- माचिका में पूर्व में DPC भोपाल को OIC बनाया गया
था (नस्ती के पूर्व पृष्ठ NS-1 & NS-2 एवं संलग्नक पृष्ठ-01 से
28 तक अवलोकनार्थ)

JD(P) द्वारा संलग्न पृष्ठ 49 पर दिए निर्देशानुसार Petitioner
भोपाल में रहता है किन्तु प्रकरणा राजगढ़ जिले का है अतः
पूर्व पृष्ठ IV S-01 पर अनुमोदित एवं संलग्नक पृष्ठ 2 & 4C
जारी DPC भोपाल को OIC बनाने का आदेश निरस्त
कर DPC राजगढ़ को OIC बनाया जाना प्रस्तावित है
कृपया अनुमोदनार्थ अनुमोदन की स्थिति में OIC आदेश
अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

JD(P) On tour

AMD(SD)

9-3-16
ऑ (सीमित्री सीमा शुक्ला)
Coordinating (Legal Secy)

कृपया प्रकरणा में उम्मीद के संबंध में टीप दें।

JD(S)

प्रस्तुत प्रकरणा में उम्मीद के संबंध में टीप दें।

एवं OIC कादेश कृपया अनुमोदनार्थ
एवं हस्ताक्षरार्थ

Am D(SD)

आमुमा

Am D(SD)

मिस्टर

संयोजक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल (म.प्र.)

S. Dahim
11/03

(शीला दाहिम)
अपर निदेशक संसाधन
राज्य शिक्षा केन्द्र

14/3
राज्य शिक्षा केन्द्र

Sh
14/3

1530/Com/RSK
14.3.16

शाखा

ત્રીઘ

राज्य शिक्षा केन्द्र

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक. (04)...

विषय... W.P. 20040/2015 द्वारा वकीलजी सीमा शुल्का नस्ती क्र. 022/2016/13।

प्रा.क्र./21318/अत.क्र.ता/न्याया.2016/2053-54 दिनांक 14-3-16.

N/3 पर अनुमोदन अनुसार प्रकरण में O.C आदेश जारी किया जा चुका है। प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती तपया विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

15-3-16

JD(P) on tour
AMD CSD)

~~विषय~~ आयुष्म

1/5/15 7/8/15

Sahim

$$15103$$


 श्री लाल कृष्ण सिंह
 राज्य शिक्षा बोर्ड
 राज्य शिक्षा केंद्र

4th Oct
8568

1577	2152	16
4451	53	16

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

~~7918~~
C

23/11/87

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 194008/2015

WP/20040/2015

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

[FOR ADMISSION and I.R.]

Fixed for 18-01-2016

WP-DA-16

Respondent No. 2



To,

Commissioner Rajya Shiksha Kendra,
Pustak Bhawan, B-wing, Arera Hills,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

J D (P)
Sh
13/1

Jabalpur 05-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/20040/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Seema Shukla** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/20040/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **18-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग)

बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

कं./रा.शि.के./सतर्कता/न्याया/2016/2053

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं0 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन तथा म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं0एफ-16/517/97/वि0प्र0/20, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला परियोजना समन्वयक, भोपाल को न्यायालयीन प्रकरण इन्व्यू.पी. 20040/2015 द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया गया था एतद् द्वारा निरस्त करते हुए जिला परियोजना समन्वयक, राजगढ़ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचना पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उल्लेखित गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद-पत्र/याचिका में उल्लेखित गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें बाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न रह जाए।

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अयोधित करें।

(दीपिका जी. मुकर्जी)

आयुक्त 14/3

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

पृष्ठं. कं./रा.शि.के./सतर्कता/न्याया/2016/2054
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. 20040/2015 द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला विरुद्ध म.प्र. शासन के संबंध में सूचनार्थ।
4. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, राजगढ़ की ओर पालनार्थ। कृपया प्रकरण में नियत समय में नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से कार्यालय को अवगत करायें।
6. जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्य प्रदेश 14/3